Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682
E-mail : cvo@csir.res.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

संख्या
No. 15-1(44)/72-Vig. दिनांक: 07 दिसम्बर, 2020

प्रेषक
From
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To
राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थाओं के निदेशक/प्रमुख

विषय: राजपत्रित अधिकारियों के समकक्ष पदों पर आसीन संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले परिषद कर्मचारियों की सूची तैयार करने, उसका रख रखाव करने व उसकी अभिरक्षा हेतु स्कीम – 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु रिपोर्ट |

महोदय / महोदया,

मुझे गृह मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक दिनांक 28.10.1969 के पत्रांक 105/1/66-ए-ए वी डी के सन्दर्भ में यह कहना है कि वर्ष 2021 हेतु राजपत्रित अधिकारियों के समकक्ष पदों पर आसीन संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले परिषद कर्मचारियों की सूची सी बी आई को दी जानी है | उक्त पत्र में यथा अनुबद्ध ऐसे अधिकारियों को जो निम्नांकित श्रेणियों में से किसी भी एक श्रेणी के अंतर्गत आते हों, इस सूची में शामिल किया जाए |

1) जो सत्यनिष्ठा संबंधी आरोप में अथवा नैतिक अधमता युक्त अपराध के लिए न्यायलय में दोषी ठहराये गए हैं परन्तु जिन पर आपवादिक परिस्थितियों के मद्देनजर बर्खास्तगी, निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत को छोड़ कर अन्य दंड लगाया जाना है |

2) जिन्हें सत्यनिष्ठा के अभाव के आरोप में अथवा सरकार (सी एस आई आर) के हितों के संरक्षण में कर्त्तव्य की घोर अवहेलना के लिए एक बड़ा दण्ड दिया गया है भले ही भ्रष्ट मंशा का प्रमाण प्राप्त न हो सका हो |

3) जिनके विरुद्ध सत्यनिष्ठा के अभाव या नैतिक अधमता युक्त कथित कृत्यों के लिए बड़े दण्ड की कार्यवाहियां अथवा अदालती मुकदमें चल रहे हैं |

4) जिन लोगों पर मुकदमा चलाया गया किन्तु तकनीकी आधार पर वे दोष मुक्त हो गए और जिनके मामले में मुकदमें के दौरान सबूत के आधार पर उनकी सत्यनिष्ठा के खिलाफ एक उचित संदेह बना हुआ है |

अपनी प्रयोगशाला / संस्थान के सन्दर्भ में 31 दिसम्बर, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु उपर्युक्त के आधार पर तैयार की गई सूची, अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 15.01.2021 तक अनिवार्य रूप से भेजें |

कृपया इसे अत्यावश्यक समझें

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(लेफ्टिनेंट कर्नल राणा विक्रम सिंह)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रतिलिपि:
1. वरिष्ठ उप सचिव (एच आर)/ उप सचिव (सी ओ) : आवश्यक कार्रवाई हेतु
2. सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग, सी एस आई आर मुख्यालय : सी एस आई आर की वेबसाइट पर प्रस्तुत करने हेतु
3. प्रयोगशालाओं / संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक / वरिष्ठ उप सचिव / प्रशासन नियंत्रक / उप सचिव / प्रशासनिक अधिकारी
4. सतर्कता अनुभाग, सीएसआईआर मुख्यालय में कार्यरत सभी अनुभाग अधिकारी
5. कार्यालय प्रति

Phone : 23710519
Fax : (91-11) 23730937, 23730682
E-mail : cvo@csir.res.in

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

अनुसंधान भवन, 2, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली - 110001

COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH

Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi - 110001

संख्या
No. 15-1(44)/72-Vig.

Dated: 07 December, 2020

प्रेषक
From
मुख्य सतर्कता अधिकारी
Chief Vigilance Officer

To

The Directors/Head of the National Labs. /Instts.

Sub: Scheme for preparation, maintenance and custody of list of Council servants with doubtful integrity holding equivalent status to that of Gazetted Officers-report for the year ending 31st Dec.,2020.

Sir/Madam,

I am to refer to the Ministry of Home Affairs Letter No.105/1/66-A-AVD, dated 28,10,1969 on the above subject and to state that the list of Council Servant with doubtful integrity holding equivalent status to that of Gazetted Officers is to be forwarded to the CBI for the year 2021. As stipulated in the foresaid letter, the officials who fall under any one of the following categories are to be included in the list:

1. Those who are convicted in the Court of Law on charge of integrity or for an offence involving moral turpitude, but on whom in view of exceptional circumstances the penalty other than dismissal, removal, or compulsory retirement is imposed.

2. Those who have been awarded a major penalty on charges of lack of integrity or for gross dereliction of duty in protecting the interest of the Govt.(CSIR) although the corrupt motive may not be capable of proof.

3. Those against whom major penalty proceedings or Court trial is in progress for alleged acts involving lack of integrity or moral turpitude.

4. Those who are prosecuted but acquitted on technical grounds and in whose case on the basis of evidence during the trial there remain a reasonable suspicion against their integrity.

The list prepared on the above lines for the year ending 31st December, 2020 in r/o your Lab/Instts. may be sent to the undersigned by 15-01-2021 positively.

This may please treat as most urgent.

Yours faithfully,

(Lt. Col. Rana Vikram Singh)
Chief Vigilance Officer

Copy to:
1. Sr. DS(HR)/DS (CO) : for necessary action
2. IT Division, CSIR Hqrs. : for placing it in CSIR website
3. Sr. COA/Sr. DS/COA/DS/AO of the Labs./Instts.
4. SOs/Units.of Vigilance Section, CSIR Hqrs
5. Office Copy